समाहरणालय, मुंगेर।

(जिला योजना कार्यालय)

आदेश

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत माननीय सांसद श्री भूदेव चौधरी (जमुई लोक सभा क्षेत्र) के सांसद निधि के अधीन अनुशंसित योजना का प्राक्कलन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 1134 दिनांक 27.04.2013 द्वारा तकनीकि अनुमोदन के उपरांत प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राप्त हुई है। माननीय सांसद द्वारा प्राप्त प्राक्कलन पर सहमति दिनांक 06.04.2013 को प्रदान की गयी है तथा अंचलाधिकारी, संग्रामपुर का पत्रांक 289 दिनांक 02.07.2013, अंचलाधिकारी, टेटियाबम्बर का पत्रांक 671 दिनांक 03. 07.2013 एवं पत्रांक 685 दिनांक 09.07.2013 द्वारा भूमि संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

सम्यक विचारोपरांत तकनीकि अनुमोदन के आलोक में स्तम्भ 5 में योजना पर अंकित राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है। साथ ही योजना कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ 6 में अंकित राशि की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजना कार्यान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के आलोक में निविदा के माध्यम से कराई जाएगी।

क0	योजना का नाम	प्रखंड का नाम	तकनीकि अनुमोदित राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	विमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6
1	भूना पंचायत के कुकराहा ग्राम में सामुदायिक भवन का निर्माण	टेटियाबम्बर	517200.00	517200.00	390000.00
2	केशौली ग्राम में नित्यानन्द यादव के घर के पास सामुदायिक भवन का निर्माण	टेटियाबम्बर	517200.00	517200.00	390000.00
3	बनहरा पंचायत के महिमा ग्राम के निकट शिव मंदिर रामवरण बाबु खेत के पास सामुदायिक भवन का निर्माण	टेटियाबम्बर	517200.00	517200.00	390000.00
4	बनहरा पंचायत के नयाटोला पड़िया ग्राम में सामुदायिक भवन का निर्माण	टेटियाबम्बर	517200.00	517200.00	390000.00
5	तिलकारी ग्राम मे भदय मंडल घर के पास सामुदायिक भवन का निर्माण	टेटियाबम्बर	517200.00	517200.00	390000.00
6	बलिया पंचायत के कारीकोल ग्राम में चकरधर चौधरी घर के पास सामुदायिक भवन का निर्माण	टेटियाबम्बर	517200.00	517200.00	390000.00
		योग–	3103200.00	3103200.00	2340000.00

कुल विमुक्त की जा रही राशि मो0–2340000.00 (तेइस लाख चालीस हजार) रू0 मात्र।

उपरोक्त योजना का कार्यान्वयन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर निम्नलिखित शर्त्तो के अधीन कराना सुनिश्चित करेंगे।

शर्त्ते–

1. कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर यह सुनिश्चित करेंगे कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शिका के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
2. कार्यकारी एजेंसी योजनाओं का कार्य निविदा के माध्यम से प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप कराना सुनिश्चि करेंगे तथा वे इसके लिये पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
3. राशि का संधारण एवं व्यय बिहार वित्तीय नियमावली के तहत संधारित किया जाय।
4. किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन अयन्त्र नही होगा।
5. कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्य स्थल पर कार्य प्रारंभ कराये जाने के साथ साईन बोर्ड लगाया जायेगा जिसपर योजना का नाम, योजना का मद, प्राक्कलित राशि कार्यकारी एजेंसी का नाम, संवेदक का नाम तथा योजना पूर्ण होने की तिथि अंकित की जायेगी।

6. योजना का कार्य प्रारंभ किये जाने के पूर्व इसका रंगीन फोटो लिया जाय तथा इसे अभिलेख मे रखा जाय। इसी प्रकार एक रंगीन फोटो कार्य के मध्य में तथा एक फोटो योजना पूर्ण होने के पश्चात लिया जाय और इसे अभिलेख के साथ संलग्न कर रखा जाय।
7. योजना का कार्य अगले तीन माह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
8. योजना का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की तीसरी तारीख तक निश्चित रूप से जिला योजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।
9. कार्यकारी एजेंसी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजना स्थल सरकारी जमीन हो एवं वर्णित कार्य पिछले पांच वर्षो से किसी अन्य मद से नही कराया गया हो।
10. यदि संबंधित भूमि गैरमजरूआ आम ज्ञात होती है तो कार्यान्वयन एसेंसी कार्य प्रारंभ करने के पूर्व यह सूनिश्चित कर लेगे कि राज्य सरकार के स्तर से भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति प्राप्त हो गई है।
11. योजना स्थल किसी अन्य विभाग की भूमि हो तो कार्यकारी एजेंसी उस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही योजना का कार्य प्रारंभ करायेगे।
12. योजना स्थल अंशतः या पूर्णताः वन क्षेत्र में पड़ता हो तो कार्यकारी एजेंसी वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे।
13. कार्यकारी एजेंसी यह सुनिश्चित हो लेंगे योजना स्थल विवाद रहित हो।
14. कार्यकारी एजेंसी यह सुनिश्चित हो लेंगे की संरचना भूकम्प निरोधी है।

जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक .... / जि0यो0, दिनांक ....

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हे निदेश दिया जाता है कि विमुक्त राशि का चेक जिला योजना पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक .... / जि0यो0, दिनांक ....

प्रतिलिपि– नाजिर जिला योजना कार्यालय, मुंगेर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। उन्हे निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत राशि का चेक कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को उपलब्ध करा दे।

जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक .... / जि0यो0, दिनांक ....

प्रतिलिपि– क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ समर्पित।

जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक .... / जि0यो0, दिनांक ....

प्रतिलिपि– माननीय सांसद, श्री भूदेव चौधरी, जमई लोक सभा क्षेत्र को सूचनार्थ समर्पित।

जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक 290 / जि0यो0, दिनांक 12-7-13

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।